कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं० 15 / 2015-16

श्री शशि भूषण पाण्डेय
पिता स्व० रामदर्शी पाण्डेय, मुंशी
वार्ड नं० 20, झु० तिo, कोडरमा।

7.1.16

आवेदक श्री शशि भूषण पाण्डेय पिता स्व० रामदर्शी पाण्डेय, मुंशी, वार्ड नं० 20, झु० तिo, जिला कोडरमा के द्वारा मौजा बरवाडीह, खाता नं० 124 प्लॉट सं० 19 रकबा 70.5 डी० भूमि का सरकारी रसीद पंजी II के पेज नं० 9/04 से निर्गत हो रहा है, परन्तु कर्मचारी के गलती से केवाला की तिथि 22.06.1990 के जगह पर 22.06.1994 दर्ज हो गया है। आवेदक के द्वारा पंजी II में उक्त तिथि में सुधार करते हुये लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 6/2/16 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 7.1.16
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

6/2/16

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-बरवाडीह, थाना नं०-281 के चालु पंजी II के पृष्ठ सं०-9/4 पर खाता नं०-124 खेसरा नं०-19, रकबा-0.70½ ए० भूमि श्री विनोद पाण्डेय, शशि भूषण पाण्डेय पिता-रामदर्शी पाण्डेय के नाम से दर्ज है। प्राप्तिकार कॉलम में डीड नं०-5887 दिनांक 22/6/94 दर्ज है। आवेदक द्वारा संलग्न केवाला की छायाप्रति में केवाला सं०-5887 दिनांक 22/6/90 दर्ज है। आवेदित भूमि रैयती खाते की है।

अत: आवेदक को नोटिस निर्गत कर केवाला की मूल प्रति की माँग करें।
अभिलेख दिनांक 20/2/16 को उपस्थापित करें।

(हस्ताक्षर) 6.2.16
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner

20/2/16

अभिलेख उपस्थापित। अभि०

आवेदक स्वयं उपस्थित हैं। राजस्व कर्मचारी/अं० नि० का प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक द्वारा अंचल कार्यालय कोडरमा से निर्गत नामांतरण का नकल की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। उक्त कॉपी में कर्मचारी के प्रतिवेदन के ऊपर वाले हिस्से में केवाला सं०-5887 दिनांक 22/6/90 दर्ज है। जबकि प्रतिवेदन के शेष भाग एवं अंचल कार्यालय से निर्गत शुद्धि पत्र में 22/6/94 दर्ज है। आवेदक उक्त केवाला का मूल प्रति भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केवाला सं०-5887 दि० 22/6/90 को निबंधित किया गया था।

अतः शुद्धि पत्र में लिपिकीय भूल के कारण 22/6/94 दर्ज हो गया। तदनुसार संशोधित शुद्धि पत्र निर्गत करें। राजस्व कर्मचारी से पंजी II में इस आशय का सुधार का एक सप्ताह में प्रतिवेदन की मांग करें।

शुद्धि पत्र पाया
(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर) 20.2.16
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।